

सार-समाचार

'एनुअल स्पोर्ट मीट-2024' का समापन



उदयपुर, (कासं)। गीतांजली इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज डबोक उदयपुर में 3 दिवसीय खेल महोत्सव 'एनुअल स्पोर्ट मीट-2024' का समापन हो गया। संस्थान के निदेशक डॉ. एन. एस. राठोड़ ने खेल के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी हमारी प्राथमिकता की सूची में शामिल होना चाहिए। यदि विद्यार्थियों के खेल के क्षेत्र में कमी रह जायेगी तो छात्रों के सर्वांगीण विकास का सपना अधूरा रह जायेगा। खेल कोई कार्यक्रम नहीं बल्कि एक मिशन है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल को पुनर्जीवित रखना है। 3 दिन तक चलने वाले खेल महोत्सव वोलोबॉल, क्रिकेट, गाली क्रिकेट, बॉस्केट बॉल, फुटबॉल, कबड्डी, चैस, टेबल टेनिस, कैरम व बेडमिंटन जैसे खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न चरणों में किया में किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से क्रिकेट में इन्जिनियरिंग टीम के केप्टन ध्रुवराज ने एम.बी.ए. क्रिकेट टीम को हराकर खिताब हासिल किया। बेडमिंटन में भूमिका सांभाली और जय लोधा, चैस में शीतल सोनी व युवराज सोनी, कैरम में खुशी महेश्वरी और मनीष व्यास, टेबल टेनिस में रिया मित्तल और मासूम चौरसिया और फुटबॉल में केप्टन तुषार शर्मा की टीम विजयी रही। समस्त खेलों का संचालन खेल अधिकारी नीरज पण्ड्या ने किया।

पट्टों को निरस्त करने की मांग

राजसमंद, (निर्सं)। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती पीपली अहिरान पंचायत के प्रेमपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टों को निरस्त करने की मांग उठाई। ज्ञापन में बताया कि प्रेमपुरा गांव के लोग 50 साल से जिस जमीन पर कबिज थे, उस जगह पर सरकारी सामुदायिक भवन व अन्य सरकारी भवन बनाने की बात कहते हुए सरपंच गंगाबाई व उनके बेटे लोहरालाल द्वारा उनके कब्जे हटवा दिए फिर सरपंच के चहेते लोगों को ग्राम पंचायत से चुपके चुपके पट्टे जारी कर दिए, जबकि कई वर्षों से वे उस जमीन पर कबिज थे। इस तरह पट्टे जारी करने में अनियमितता हुई, जिसकी निष्पक्ष जांच करते हुए सभी पट्टों को निरस्त किया जाए। आरोप है कि नियमों के विरुद्ध व भ्रष्टाचार के चलते 18 से 20 उन रसूखदारों को पट्टा जारी कर दिए, जो पहले से गांव के जमींदार हैं। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि जिन रसूखदारों को पट्टा जारी किए उनके पट्टे निरस्त किए जाए। साथ ही उक्त भूमि पर जारी किए पट्टे निरस्त करते हुए इस जमीन का उपयोग सरकारी व सार्वजनिक उपयोग लिया जाए। गंगा बाई अहिर, सरपंच ग्राम पंचायत पीपली अहिरान ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टे दिए गए हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो चारागाह और आनंदी भूमि के अतिक्रमण करी है जिनको हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं और प्रशासन से पुलिस जांचा भी कई बार मांग की पर सहयोग नहीं मिला। इसलिए ये लोग आरोप लगा रहे हैं। मैं प्रशासन की जांच में सहयोग करूँगी और सभी अतिक्रमण हटाने में प्रशासन सहयोग करूँगी। पूरी पंचायत को अतिक्रमण मुक्त करेगी।

बाइक चोर गिरोह का बदमाश गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के सुखेर थाना पुलिस ने दुपहिया वाहन चोर गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार कर चोरी गई छह बाइक बरामद की। प्रकरण के अनुसार चन्द्रप्रकाश सेन पुत्र गोपाल सेन निवासी कोठारियों का मौल्लेला आयुड भूपालपुरा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि मैं वैभिनयन सैलून सेलिब्रेशन मॉल में नौकरी करता हूँ व हमेशा की तरह 4 मार्च को सुबह मौल के बाहर मेरी स्कूटी खड़ी की। रात में पर लौटते समय पहुँचा तो मौके पर स्कूटी नहीं थी। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोपाल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक चांदमल सिंगारिया के सुपरविजन में सुखेर थानाधिकारी हिमांशुसिंह मय टीम ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर गुलाब नबी पुत्र लियाकत अली निवासी नंदवाना कॉलोनी कपासन चित्तौडगढ़ हाल मावली को डिटैन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने राजसमंद, चित्तौडगढ़ व उदयपुर में विभिन्न स्थानों से 6 बाइक चोरी करना स्वीकार किया।

जेवरात से भरा पर्स चोरी

उदयपुर, (कासं)। शहर के सूरजपोल थानाक्षेत्र बस में सवार महिला का अज्ञात चोर पर्स चुरा ले गया। जिसमें जेवरात व नकदी थी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आई ब्लॉक मिराज मोर्निंग अपार्टमेंट के सामने सेकटर 14 निवासी भरत नागौरी पुत्र विनय कुमार नागौरी ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें पीडित ने बताया कि मंगलवार को मेरी मां उदियापोल रोडवेज बस स्टैण्ड खिडकी पर टिकट लेकर सिरौही की बस में बैठी थी। वहाँ पहुँचने पर मां ने फोन किया की पर्स चोरी हो गया है। पर्स में सोने की चेन, दो अंगुठी तथा नकदी थी।

बाल श्रमिक मुक्त कराया

उदयपुर, (कासं)। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोपाल के निर्देश पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान हासन तस्करी विरोधी यूनिट प्रोबरी लच्छीराम मय टीम ने बुधवार को गुलाब बाग समोर बाग स्थित शिवाग्रिक दाल-पुरी थैले वाले पर कार्यवाही करते हुए एक बाल श्रमिक को मुक्त करा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर शैल्टर होम भिजवाया। थैला संचालक रामलाल के खिलाफ सूरजपोल पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया।

बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्यक्रम आयोजित



दर्शन डेंटल कॉलेज में 'डेंटिस्ट्स डे' पर बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उदयपुर, (कासं)। दर्शन डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल में 'नेशनल डेंटिस्ट्स डे' के उपलक्ष्य में पीडियाट्रिक एवं प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री विभाग के द्वारा बेसिक लाइफ सपोर्ट एवं एयव्हे मैनेजमेंट सिकल पर दो दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दूस्ती बी आर अग्रवाल, डॉ. रूचि अरोरा ने आयोजन अध्यक्ष डॉ. रूचि अरोरा और आयोजन सचिव डॉ. खालिद अगवान्नी द्वारा किया गया। संयोजक एवं वीमागाध्यक्ष डॉ. रूचि अरोरा ने सभीआर जीवन बचाता है थीम पर सभी शिक्षक एवं शिक्षार्थियों को सम्बोधन करते हुए बताया कि आपातकालीन स्थिति में घायल की

सहायता करने के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट का ज्ञान सभी को होना जरूरी है। बीपीएल/एनपीएल चिकित्सा सहायता है, जो लोगों को अस्पताल में पहुँचाने से पहले या उन स्थितियों में दी जाती है, जहाँ चिकित्सा सुविधा सुरंत उपलब्ध नहीं होती है। पैरामेडिकल/मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के डॉ. वीरेंद्र चौधरी (एमडी मेडिसिन), डॉ. शिल्पा शारदा (एमडी, अनेस्थेसिया) और डॉ. खालिद अगवान्नी (ओरल सर्जन) ने गेस्ट लेक्चर एवं डेमोस्ट्रेशन दिया। कार्यक्रम में 200 से अधिक शिक्षकों, छात्रों और कॉलेज के कर्मचारियों को डेमोस्ट्रेशन डॉ. मांडल पर प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में उदयपुर के विभिन्न डेंटल कॉलेज से 210 से भी अधिक प्रतिनिधियों से भाग लिया।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना की समीक्षा की



महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में ए.डी.एम. प्रशासन ने योजनाओं की समीक्षा की।

उदयपुर, (कासं)। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न समितियों की बुधवार को जिला कलेक्टर परिसर स्थित मिनी सभागार में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल के निदेशानुसार एडीएम प्रशासन राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।

बैठक में एडीएम ने जिला अधिसूचना योजना समिति अंतर्गत सौ दिवसीय कार्य योजना के तहत आयोजित हो रही गतिविधियों की

वन स्टॉप केंद्रों के लंबित प्रकरणों की ली जानकारी ली

समीक्षा करते हुए विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किये, उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिमाह किए जाने वाले बच्चों के पोषण से संबंधित सर्वे की विस्तार से जानकारी ली, साथ ही पूरक पोषण की उपलब्धता, पोषण टूटकर, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा होम विजिट तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत जिले में

लाभार्थियों की संख्या एवं किस्तों के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं को मिलने वाले लाभों तथा उसकी प्रक्रिया की जानकारी ली। एडीएम ने वन स्टॉप सेंटर मॉनिटरिंग समिति की चर्चा के दौरान विभागीय अधिकारियों से वन स्टॉप केंद्रों के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली तथा भवन निर्माण, प्रचार प्रसार आदि पर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बेटी

बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की समीक्षा करते हुए एडीएम ने योजना अंतर्गत अब तक हुए कार्यों की स्थिति की जानकारी ली, साथ ही आगामी आयोजन एवं नवाचार पर भी चर्चा की जिसमें शिक्षा सेतु के माध्यम से वंचित बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के महिला अधिकारिता उपनिदेशक संजय जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधुरी वर्मा, अतिरिक्त सीएमएचओ डॉ. रागिनी अग्रवाल, सीडीपीओ कविता यादव, निधि रानी जोशी, सरोज देवपुरा, गरिमा उपाध्याय समेत महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी एवं विभाग की समितियों से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

कार्यशाला का आयोजन

राजसमंद, (निर्सं)। जिले में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तिन दिवसीय अभियान के प्रथम दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने कार्यशाला में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की। सचिव मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तीन दिवसीय अभियान में हिन्दुस्तान जिक दरीबा में कार्यक्रम महिला कर्मचारीगण को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, भ्रमण-पोषण, गिरफ्तारी से संबंधित कानून, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने सहित अन्य प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संगठन व कार्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए लोक अदालत, मध्यस्थता, महिलाओं को प्राप्त निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार, स्थाई लोक अदालत, अवेयरनेस फॉर सीनियर सिटीजन, माता-पिता व बुढ़जनों को भरण पोषण अधिकार, वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन व पीडित प्रतिकर स्क्रीम के तहत महिलाओं को प्राप्त विभिन्न अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उपस्थित महिला कर्मचारीगण द्वारा व्यक्त की गई जिज्ञासाओं को भी शांत किया।

इंडियन व आई.पी.एल. प्लेयर को देखने उमड़े लोग

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर के फील्ड क्लब मैदान पर हो रहे मेवाड़ कप में खेल रहे इंडियन क्रिकेट टीम के सदस्य व आईपीएल प्लेयर खिलाड़ियों को देखने भीड़ उमड़ रही है। बुधवार को रवि बिश्नोई व राहुल भूमिहर अलग टीम से खेलते रवि बिश्नोई ने 52 गेंदों पर 93 रन की तूफानी पारी खेलते हुए जोधपुर की टीम स्पार्टन्स क्रिकेट एकेडमी को जीत दिलाई वहीं राहुल चाहर पीआईएमएस क्लब उदयपुर की ओर से खेलते रवि बिश्नोई ने अपनी पारी में सात छक्के और आठ चौके लगाए।



रवि बिश्नोई को मैदान में आठ रन का अर्वाइ दिया।

आशीष अठवाल, शीतल अग्रवाल भी मौजूद रहे।

आयोजक बिलाल अख्तर और हर्षित शारदा ने बताया कि सुबह के सत्र में आदित्य रियल एस्टेट ने दिल्ली चैलेंजर्स क्रिकेट क्लब को रोमांचक मुकाबले में आठ रन से हराया। आदित्य रियल एस्टेट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट खोकर 153 रन का स्कोर खड़ा किया जिसमें फैजल रशीद ने नाबाद 41 रन का योगदान दिया। वहीं आईपीएल खिलाड़ी स्पार्टन्स के हरप्रीत ब्रार ने दो विकेट लिए। जबकि स्पार्टन्स की टीम ने दो विकेट खोकर मात्र 14.4 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। अंतर्राष्ट्रीय व टीम इंडिया के सदस्य रवि बिश्नोई की 93 रनों की तूफानी पारी की वजह से उन्हें मैदान में आठ रन से हराया। इस दौरान पीआईएमएस के चैयरमैन

178 रन ही बना सकी और आठ रन से मुकाबला हार गई। दिल्ली के धीरुसिंह ने 60 और रिल्वक रॉय ने 53 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सका। पिम्स हॉस्पिटल उमरडा और मिराज पाइप्ल एंड फिटिंग के सहयोग से शुरू हुए दूसरे सौजन में रवि बिश्नोई, राहुल चाहर, वैकेंटर अय्यर, शिवम मांगी, महिपाल लोमरोर, कुणाल सिंह राठोड़, अभिजीत तोमर, रिपल पेलेल, सौरभ चौहान, कमलेश नारकोटी सहित कई नामी क्रिकेटर भाग ले रहे हैं।

साधारण सभा की बैठक आयोजित

मंडफिया, (निर्सं)। भदिसर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति प्रधान सुशीला कंवर आक्या की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में चित्तौडगढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अपने विभिन्न कार्यों को गति देने के सख्त निर्देश दिए। साधारण सभा की इस बैठक में उपखंड अधिकारी विजेश कुमार, विकास अधिकारी सुमेर सिंह, तहसीलदार गुणवंत लाल माली सहित ब्लॉक लेवल के समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम विद्युत विभाग को लेकर चर्चा की गई तत्पश्चात जलदाय विभाग की चर्चा में पंचायत समिति सदस्य उदयलाल खटीक, बानसेन सरपंच कन्हैया दास वैष्णव, खोडिप सरपंच अशोक कुमार, पंचायत समिति सदस्य गोविंद सोनी एवं करंजीया सरपंच कालू लाल गाडरी ने अपनी समस्याएं रखी। मुख्य रूप से बानसेन खोडिप एवं भादसोडा में पेयजल आपूर्ति को लेकर सदन में मांग रखी गई। जिसमें प्रस्ताव लिया गया कि पेयजल समस्या को देखते हुए इन गांव में तुरंत प्रभाव से पानी के टैंकर प्रारंभ किया जाए साथ ही जलदाय विभाग के अभियंता को निर्देशित किया कि आज ही इसका प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारी को भेजा जाए साथ ही बानसेन एवं अन्य स्थानों पर जर्जर हो रही टंकियां को भी निस्तारित करने का प्रस्ताव लिया गया।

महाराणा भूपाल सिंह की जयंती पर किया नमन

उदयपुर, (कासं)। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी की 14-वीं जयंती पर जनार्दनराय नारार राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड रू बी विवि के कुलपति सचिवालय के सभागार में बुधवार को कुलपति कर्नल प्रो. एस. एस. सारंगदेवोत, कुल प्रमुख भंवर लाल गुर्जर, रजिस्ट्रार डॉ. तरुण श्रीमाली, पीजी डीन प्रो. जीएम मेहता, परीक्षा नियंत्रक डॉ. पारस जैन ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

इस अवसर प्रो. सारंगदेवोत ने कहा कि महाराणा भूपाल सिंह जी सिर्फ एक शासक ही नहीं थे, वह एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे। महाराणा भूपाल सिंह विद्यापीठ के पहले कुलपति रहे। आजादी के पूर्व महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ के शहरी एवं आदिवासी अंचल में शिक्षा की अलख जगाई।

आजादी के पूर्व महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ में शिक्षा की अलख जगाई।

को अपने यहाँ शरण दी। सबसे पहले गिरासती एकीकरण के पक्षकार महाराणा भूपाल सिंह जी थे उनके इस सहयोग के लिए उनको पूरे भारत के एकीकरण के दौरान मार्ग प्रदर्शक की छवि के रूप में पेश किया। महिला शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार में उनके उल्लेखनीय योगदान को मुलायम नहीं जा सकता। युवाओं के उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। इस अवसर पर डॉ. आशीष नंदवाना डॉ. चन्द्रेश छतलानी, निजी सचिव केके कुमारवत, जितेंद्र सिंह चैहान, उमराव सिंह राणावत, डॉ. हेमंत साहू, डॉ. संजय चौधरी, लखनराय, रजनी पी. विजय लक्ष्मी, लोहरनाथ, डांगी, कालू सिंह, सिद्धार्थ सहित कार्यकर्ताओं ने महाराणा भूपाल सिंह जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

सार-समाचार

गांजा नहीं देने पर युवक की हत्या

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र मादडी रोड पर बाइक सवार बदमाश ने समस्तीपुर बिहार हॉल मादडी निवासी संतोष साहू (30) पुत्र भगलू साहू की चाकू चोंप कर हत्या कर दी। संतोष मादडी फेक्ट्री में काम करता था। एवं रात में संतोष अपने चचेरे भाई सुजित के साथ बिहार हॉल बेडवास निवासी सुबोध पार्टी पुत्र की बर्थडे पार्टी में गया था। वहाँ से साईकिल पर सुजित के साथ पर लौट रहा था। जहाँ बीच रास्ते रोड नं. 12 मादडी में बाइक सवार दो बदमाशों ने रोक कर गांजा मांगा इंकार करने पर चले गए कुछ ही दूरी पर जाने के बाद दोबारा वापस आकर गांजा मांगा व इंकार करने पर विवाद होने पर एक बदमाश ने संतोष के सीने पर चाकू चोंप कर साथी के साथ फरार हो गया। इसको देख साथी सुजित मौके से फरार हो गया। सूचना पर थानाधिकारी भरत योगी ने मौके पर पहुँच मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिवजनों को सौंपा। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है।

दो शराब तस्कर गिरफ्तार

इंगूरपुर, (निर्सं)। रामसागडा थाना पुलिस ने शराब तस्करों के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी दो साल से फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों को गुजरात के प्रांतिज और अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। रामसागडा थानाधिकारी ने बताया कि शराब तस्करों के दो अलग-अलग मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन आरोपी फरार चल रहे थे उन्हें पकड़ने हेतु कॉनि. नारायणलाल, कॉनि. राहुल और नरेश की टीम तलाश में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने 2 साल से फरार सुर्देसिंह निवासी बस्सी पुलिस थाना सराडा जिला सुलंबूर को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। वहीं शराब तस्करों में फरार सुर्देसिंह पुत्र वीरू सिंह चौहान टिंवावास कालिज रोड प्रांतिज जिला सांबरकांठा गुजरात को प्रांतिज से गिरफ्तार किया है।

इनामी हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के अम्बामाता थाना पुलिस ने तीन वर्ष से फरार इनामी हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोपाल के निर्देश पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक चांदमल सिंगारिया के सुपर विजन में अम्बामाता थानाधिकारी डॉ. हनवन्तसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में गठित दल ने कार्यवाही करते हुए तीन वर्ष से फरार पांच हजार रूपये के इनामी हिस्ट्रीशीटर किशन खान पुत्र मोहम्मद अजीज निवासी सज्जनगर कच्ची बस्ती अम्बामाता को गिरफ्तार किया।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद राजसमंद लोक - सूचना

श्री रोशनलाल चंदेल पिता श्री देवीकान्तर खटीक निवासी अम्बिका चौक जलकनको तहसील व जिला राजसमंद द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर - कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिभूति अधिकारों के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -

क्र. सं.	जिले सहीत तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खरारा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमंद	फिकोतनगर	1137/1000	रकबा 0.0526 हेक्टेयर

सहीरिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजसमंद प.राजसमंद अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिभूति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वांक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिभूति अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर -भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समक्ष के दौरान अधोदस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त निवृत्त समय के भीतर -भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अश्वीन आज दिनांक 05/03/2024 को जारी की गयी।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद राजसमंद लोक - सूचना

श्री कन्हैयालाल चंदेल पिता श्री वैकुण्ठलाल गमेठी निवासी प्रेमनगर बाटिका के पास सखिना तहसील निवासी जिला उदयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर - कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अधिभूति अधिकारों के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -

क्र. सं.	जिले सहीत तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खरारा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमंद	नीगाणा	1948/1489	रकबा 0.4047 हेक्टेयर

सहीरिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजसमंद प.राजसमंद अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अधिभूति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वांक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अधिभूति अधिकारों के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर -भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समक्ष के दौरान अधोदस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त निवृत्त समय के भीतर -भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अश्वीन आज दिनांक 05/03/2024 को जारी की गयी।

कार्यालय पंचायत समिति वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-पसव/लेख/हड्डी ठेका/2024-25/129 दिनांक-5.03.2024

हड्डी ठेका नीलामी वर्ष 2024-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंचायत समिति वल्लभनगर के अधीन 23 ग्राम पंचायतों के मृत पशुओं की हड्डियाँ उठाने का ठेका दिनांक 11-3-3024 को दोपहर 3 बजे नीलामी द्वारा किया जायेगा।

इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि को 50000/- रूपए की डी.डी. दोपहर 2 बजे से पूर्व जमा करा बोली में भाग ले सकता है अन्य समस्त शर्तें दस्तावेज कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(देवीलाल नंगारची) (विरेन्द्र कुमार व्यास)
प्रधान विकास अधिकारी
पंचायत समिति वल्लभनगर पंचायत समिति वल्लभनगर

SRG HOUSING FINANCE LIMITED
(CIN: L65922RJ199PLC015440)
321, S M Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur 313001 (Rajasthan), Phone 02942561882 E-mail: info@srghousing.com Website: www.srghousing.com

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE RULE 8(1) (For Immovable Property)
Whereas, the undersigned being the authorized officer of SRG Housing Finance Limited, 321, S M Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur - 313001 (Rajasthan), under the Securitization And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of power conferred under section 13(1) read with rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notices on the dates mentioned against each account calling upon the respective borrowers/co-borrowers/mortgagors/guarantors, to repay the amount within 30 days from the date of receipt of the said notices. The borrowers/co-borrowers/mortgagors/guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby issued to the borrowers/co-borrowers/mortgagors/guarantors and the public in general, that the undersigned has taken symbolic possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act, read with rule 9 of the said rules, on the dates mentioned against each account. The borrowers/co-borrowers/mortgagors/guarantors in particular and public in general are hereby cautioned **NOT TO DEAL WITH THE PROPERTIES** any (dealing with the properties will be subject to the charge of SRG Housing Finance Limited, 321, S M Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur - 313001 (Rajasthan), for the amounts mentioned below plus future interest and cost/charges thereon until the realization. The Borrowers/Co-borrowers/Mortgagors/Guarantors attention are invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the said Act, in respect of time available to redeem the amount secured assets.

S. No.	Loan Account Number (Lan)/ Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors	1) Date Of Demand Notice	2) Date Of Symbolic Possession	3) Claim Amount As Per Demand Notice	Description Of Immovable Property (Together With Buildings And Structures Constructed, To Be Constructed Thereon Along With Fixtures And Fittings Attached To The Earth And Anything Attached To The Earth.)
1.	HLR0000000007848 Mr. Arvind Singh S/o Mr. Mahendra Singh (Borrower) Mrs. Lad Kunwar W/o Mr. Arvind Singh (Co-Borrower)	1.Date Of Demand Notice-December 09, 2023	2.Date Of Symbolic Possession- March 01, 2024	3. Claim Amount As Per Demand Notice - ₹ 10,09,140/- Rupees Ten Lakh Nine Thousand One Hundred And Forty Only	All That Piece And Parcel Of Land Owned By:- In The Name Mr. Arvind Singh S/o Mr. Mahendra Singh Rajput Having Arangi No.-1459 And 425/2, Gram-Chundawat Khedi, Gram Panchayat-Badgaon, Panchayat Samiti-Mavli, Tehsil-Mavli, District-Udaipur (Rajasthan) Land Area Of 8712.05 Sq.Ft. Situated Under: East-Road, West-Agri. Land Of Mr. Godha, North-Agri. Land Of Mr. Goda, South-Agri. Land Of Mr. Lakshma
2.	HLR0000000012038 Mr. Ti Singh S/o Mr. Dud Singh (Borrower) Mrs. Radha Devi W/o Mr. Ti Singh (Co-Borrower) Mr. Prabh Singh S/o Mr. Raju Singh (Guarantor)	1. Date Of Demand Notice- December 14, 2023	2. Date Of Symbolic Possession- March 01, 2024	3. Claim Amount As Per Demand Notice - ₹ 4,00,090/- Rupees Four Lakh And Ninety	All That Piece And Parcel Of Land Owned By:- In The Name Mr. Ti Singh S/o Mr. Dud Singh Having Kharsa No.-486, Patta No.-40, Block No.-03, Gram-Ghata, Bp-Ajgarh, Ps-Bhim, Tehsil-Bhim, District-Rajasthan (Rajasthan) Measuring About 2652.00 Sq. Ft. Situated Under: East-House Of Kharghar Singh, West-Only As On December 11, 2023 Future Interest, Incidental Expenses, Cost, Rasta Charges Etc., W.e.f. December 12, 2023

PLACE:- Udaipur
DATE:- 07-03-2024

SD/
Authorized Officer
SRG Housing Finance Limited